सत्यमेव जयते

न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/104 दर्ज तिथिः–06.03.2025

1. भारमलराम पुत्र फगलुराम
2. पूनमाराम पुत्र फगलुराम
3. तुलछाराम पुत्र फगलुराम
4. विरधाराम पुत्र फगलुराम
5. सुरजनराम पुत्र फगलुराम
6. मोहनराम पुत्र ईसराराम
7. किसनाराम पुत्र ईसराराम
8. भींयाराम पुत्र हरसुखाराम
9. पेमाराम पुत्र हरसुखाराम जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथराम पुत्र प्रतापाराम (कथित गोदपुत्र कलाराम)
2. लालाराम पुत्र प्रतापाराम
3. धुकाराम पुत्र प्रतापाराम फौत के कायम मुकाम
   - 3/1 समला पुत्र धुकाराम पुत्र उर्फ मुकेश
   - 3/2 विकास पुत्र धुकाराम
   - 3/3 धोली पुत्री धुकाराम
   - 3/4 कबिता पुत्री धुकाराम
   - 3/5 बाली देवी पत्नी धुकाराम
4. कालुराम पुत्र प्रतापाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालाली
5. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे हाल एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री बाबूलाल विश्नाई
अप्रार्थीः– पूनमाराम विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:41 IST
Reason: SelfAttested

**–:निर्णयः–**

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दू परिवार से संबंधित हैं। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते हैं। प्रकरण में मुतनाजा आराजी मौजा मौखावा में अवस्थित है। उक्त मुतनाजा आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 को पैतृक व सहदायक संपति के रूप में पूर्वज कला पुत्र धुड़ा से प्राप्त हुई। वक्त बंदोबस्त के समय कला पुत्र धुड़ा के नाम से पर्चा लगान जारी होकर खतौनी बंदोबस्त में इन्द्राज दर्ज रिकॉर्ड हुआ। कला पुत्र धुड़ा लाऔलाद फौत हो गया। कला पुत्र धुड़ा के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का कोई वारिस जीवित नहीं था। इस कारण कला पुत्र धुड़ा के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02–04 थे। इस कारण कला पुत्र धुड़ा की संपति विरासत में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02–04 को प्राप्त होनी थी। इस प्रकार कला पुत्र धुड़ा की संपति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02–04 के कानूनी हक निहित है। इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त हैं।

2. परंतु अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वयं को कला पुत्र धुड़ा का गोदपुत्र बताते हुए राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत कर कला पुत्र धुड़ा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 अकेले स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया। इससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01–04 के हकों पर नकारात्मक असर हुआ है। इस हेतु वादी द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो इससे प्रार्थीगण के हकों पर अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार दौरान–ए–वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी एक परिवार के सदस्य नहीं है। प्रकरण में वक्त बंदोबस्त के समय कला पुत्र धुड़ा के मौके पर काबिज काश्त भूमि कला पुत्र धुड़ा के नाम दर्ज की गई। इसी प्रकार शेरा के मौके पर काबिज काश्त भूमि शेरा के नाम दर्ज की गई। कला पुत्र धुड़ा व शेरा दोनो एक परिवार के सदस्य नहीं थे। धुड़ा के पिता भोमा के पिता तथा शेरा के पिता का आपस में कोई संबंध नहीं था। प्रकरण में कला पुत्र धुड़ा के कोई वारिस नहीं था। साथ ही कला पुत्र धुड़ा की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण कला पुत्र धुड़ा की सेवा चाकरी अप्रार्थी संख्या 01 ने की थी। इस कारण कला पुत्र धुड़ा द्वारा 03.06.1982 को जरिए पंजीबद्ध गोदनामा अप्रार्थी संख्या 01 को गोद लिया। इस प्रकार कला पुत्र धुड़ा की संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिस गोदपुत्र भागीरथ पुत्र प्रतापा के नाम नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:41 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा सही दर्ज की गई। साथ ही प्रार्थी गलत मंशा से न्यायालय आकर अप्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल व बेचान करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में कला पुत्र धुड़ा के कोई वारिस नहीं था। साथ ही कला पुत्र धुड़ा की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण कला पुत्र धुड़ा की सेवा चाकरी अप्रार्थी संख्या 01 ने की थी। इस कारण कला पुत्र धुड़ा द्वारा 03.06.1982 को जरिए पंजीबद्ध गोदनामा अप्रार्थी संख्या 01 को गोद लिया। इस प्रकार कला पुत्र धुड़ा की संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिस गोदपुत्र भागीरथ पुत्र प्रतापा के नाम नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 द्वारा सही दर्ज की गई। साथ ही प्रार्थी का पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 2019/00279 हाजा अदालत से दिनांक 10.11.2021 को खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इस कारण पुनः हाजा अदालत में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के गलत इन्द्राज तहत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कला पुत्र धुड़ा की संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिस गोदपुत्र भागीरथ पुत्र प्रतापा के नाम नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 द्वारा सही दर्ज की गई। प्रकरण कला पुत्र धुड़ा की संपति पर विरासत नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के प्रभाव व वैधता से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही नामांतरकरण संख्या 110

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:41 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 14.09.1993 के प्रभाव व वैधता एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। परंतु उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 2019/00279 हाजा अदालत से दिनांक 10.11.2021 को खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इस कारण प्रकरण में मजबूत विचारण बिदू स्पष्ट नहीं होता है। पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के गलत इन्द्राज तहत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कला पुत्र धुड़ा की संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिस गोदपुत्र भागीरथ पुत्र प्रतापा के नाम नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 द्वारा सही दर्ज की गई। प्रकरण कला पुत्र धुड़ा की संपति पर विरासत नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के प्रभाव व वैधता से संबंधित है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 का पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 03.06.1982 का है। साथ ही कला पुत्र धुड़ा की संपति पर विरासत नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 को दर्ज हुआ। वादी द्वारा दिनांक 11.01.2019 को करीब 25 वर्ष बाद दावा प्रस्तुत किया है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 करीब 25 वर्षो से रिकॉर्डेड खातेदार है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजी का बेचान किया जाता है और प्रार्थी का हक स्पष्ट होता है तो आवश्यक रूप से प्रार्थी को क्षति होना स्पष्ट है। परंतु प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 2019/00279 हाजा अदालत से दिनांक 10.11.2021 को खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

8. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के गलत इन्द्राज तहत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कला पुत्र धुड़ा की संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिस गोदपुत्र भागीरथ पुत्र प्रतापा के नाम नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 द्वारा सही दर्ज की गई। प्रकरण कला पुत्र धुड़ा की संपति पर विरासत नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 के प्रभाव व वैधता से संबंधित है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 का पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 03.06.1982 का है। साथ ही कला पुत्र धुड़ा की संपति पर विरासत नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 14.09.1993 को दर्ज हुआ। वादी द्वारा दिनांक 11.01.2019 को करीब 25 वर्ष बाद दावा प्रस्तुत किया है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 करीब 25 वर्षो से रिकॉर्डेड खातेदार है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजी का बेचान किया जाता है और प्रार्थी का हक स्पष्ट होता है तो आवश्यक रूप से प्रार्थी को क्षति

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:41 IST
Reason: SelfAttested

होना स्पष्ट है। परंतु प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 2019/00279 हाजा अदालत से दिनांक 10.11.2021 को खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा कम प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होता है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

**प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।**

आज 28.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:41 IST
Reason: SelfAttested